समक्ष : *माननीय ए. एल. बहरी और* वी. *के. बाली,* न्यायमूर्ति

पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़-याचिकाकर्ता।

बनाम

अध्यक्षीय अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य-उत्तरदाता।

1991 की सिविल रिट **याचिका** ***संख्या*** **14016**

26 फरवरी, 1992

भारत का संविधान, **1950-अनुच्छेद** ***226*** **और** ***227-औद्योगिक*** **विवाद अधिनियम** ***1947-धारा 10-*** पुनर्न्याय ***-याचिकाकर्ताओं की*** **सेवाएं** ***समाप्त-उच्च*** **न्यायालय में** ***आदेश बरकरार-क्या*** **श्रम न्यायालय के** ***समक्ष की*** **गई** ***बाद की कार्यवाही औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 10 के तहत वैध है -श्रम न्यायालय को संदर्भ प्राप्त करने के लिए*** **प्रतिबंधित किया गया है-उच्च न्यायालय का आदेश न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करता है।**

अभिनिर्धारित **किया कि यदि उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए रिट** ***याचिका को*** **केवल सीमित रूप से खारिज कर दिया होता, तो यह तर्क दिया जा सकता था कि आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित नहीं किया गया था और कर्मचारी श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि किसी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के विवाद के निर्णय से संबंधित ऐसा मामला अधिनियम की** ***धारा*** **10 के तहत लाहौर न्यायालय को भेजा जा**

सकता है। हालाँकि, जब अलग-अलग उपाय उपलब्ध थे और कर्मचारी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत *रिट* याचिका का लाभ उठाने के लिए चुना और गुण-दोष के आधार पर विफल रहा, तो उसे वाद हेतुक उसी कारण और उसी राहत के *लिए फिर* से श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से रोक दिया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता की *धारा* 11 में उल्लिखित न्यायनिर्णयक सिद्धांत लागू होगा। उच्च न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित आदेश को श्रम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से श्रम न्यायालय के आदेश में निर्धारित आधारों पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो कि विवादित है।

(पैरा 7)

अभिनिर्धारित किया कि चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा वैध माना गया था, इसलिए इसे श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी। बर्खास्तगी के आदेश को गलत ठहराते हुए श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए गुण-दोष पर अन्य निष्कर्षों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं माना जाता है। श्रम न्यायालय को निर्देश पर विचार करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसके आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता अजय महाजन ने कहा,*

प्रतिवादीओं की ओर से *जे. सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता*

के साथ दिनेश कुमार के साथ *अधिवक्ता*

निर्णय

ए. एल. बहरी, न्यायमूर्ति

(1) **विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश, हालांकि सीमित *रूप से,* लेकिन गुण-दोष के आधार पर, श्रम न्यायालय के *समक्ष औद्योगिक* विवाद अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की *धारा* 10 के तहत की गई कार्यवाहियों में न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य करेगा।**

(2) **उपरोक्त प्रश्न के निर्णय के लिए प्रासंगिक तथ्यों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रीमती उषा देवी शर्मा, प्रतिवादी संख्या 2, को , आदेश संलग्नक पी. 8, दिनांक 20 सितंबर, 1985 से , सेवा से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा उन्हें क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था; इस आदेश के तहत नोटिस के बदले में छंटनी मुआवजे और एक महीने के वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इसे श्रीमती उषा देवी शर्मा ने 1985 के, सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4807 में चुनौती दी थी और खण्ड पीठ ने विरोधी पक्ष**

को नोटिस देने के बाद 24 जनवरी, 1986 को निम्नलिखित आदेश पारित कियाः—

> "याचिकाकर्ता प्रतिवादी के साथ एक परिवीक्षाधीन क्लर्क के रूप में काम कर रही थी, उसकी *सेवाओं* को समाप्त कर दिया गया था-20 सितंबर, 1985 के आदेश के अनुसार-अनुलग्नक पी. 5। उन्होंने इस रिट याचिका द्वारा से उक्त आदेश को चुनौती दी है।"

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को सजा के रूप में समाप्त कर दिया गया था। हम विवाद के इस तर्क को स्वीकार करने की अपनी असमर्थता पर खेद *करते* है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि विवादित आदेश सजा के रूप में पारित किया गया हो। यह याचिकाकर्ता पर कोई कलंक भी नहीं लगाता है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि परिवीक्षा के दौरान, एक कर्मचारी की सेवाओं को नियोक्ता द्वारा एक हानिरहित आदेश पारित करके समाप्त किया जा सकता है। नतीजतन, हम रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और *इसे सीमित रूप से खारिज करते हैं।"*

(4) असंतुष्ट महसूस करते हुए, श्रीमती उषा देवी शर्मा ने अपनी सेवाओं को समाप्त करने के उसी आदेश को चुनौती देते हुए, एक औद्योगिक विवाद उठाया। विवाद को *श्रम* न्यायालय में भेजा गया था। 4 अप्रैल, 1990 के निर्णय (संलग्नक पी. 1 की प्रतिलिपि) के माध्यम से, श्रीमती उषा देवी शर्मा की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को अवैध माना गया। उन्हें सेवा की निरंतरता के साथ फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया गया था और उन्हें 60 प्रतिशत वेतन वापस मिलना था। संलग्नक पी. 1-श्रम न्यायालय के निर्णय

को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(5) रिट याचिका में पारित उच्च न्यायालय के आदेश की बाध्यकारी प्रकृति के सवाल पर श्रम न्यायालय ने फैसले के पैरा 10 में कहाः—

> **"इस निर्णय से विदा लेने से पहले, मैं प्रबंधन के वकील द्वारा उठाए गए**

इस तर्क का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्तमान संदर्भ पूर्व के आदेशों के आलोक में न्यायिक निर्णय *के सिद्धांत* के तहत वर्जित है 24 जनवरी, 1986 को माननीय न्यायालय द्वारा एम. एल. पारित किया गया। कर्मचारी ko योग्यता के आधार पर वंचित किया गया है क्योंकि लिखित कथन में इस ऐसा कोई दलील नहीं है और दूसरा कि रिट को सीमित रूप से *खारिज कर* दिया गया था। तीसरा, उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों को लागू करना उचित नहीं समझा क्योंकि मामले की पूरी तरह से जांच की आवश्यकता थी जो केवल दोनों पक्षों द्वारा प्रमुख साक्ष्य द्वारा की जा सकती थी। अन्यथा भी विवाद एक औद्योगिक मुद्दा था जिसे श्रमिक द्वारा अलग-अलग कार्यवाही द्वारा उठाया जा सकता था जो उसने किया।"

(6) रिट याचिका में पारित उच्च न्यायालय के आदेश से बचने के लिए, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, श्रम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में, पुनर्न्याय के संबंध में लिए गए लिखित बयान में कोई दलील *नहीं थी। यह* भी देखा गया कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों को लागू करना उचित नहीं समझा क्योंकि मामले की पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है जो केवल दोनों पक्षों द्वारा प्रमुख साक्ष्य द्वारा की जा सकती है। उपरोक्त टिप्पणियां अभिलेख के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ता द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष दायर लिखित बयान की प्रति संलग्नक पी. 3 है। प्रारंभिक आपत्ति संख्या 2 के एक हिस्से को इस बात को उजागर करने के
लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है कि विशेष रूप से मुद्दा उसमें उठाया गया थाः—

> "यह संदर्भ बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि श्रीमती उषा देवी ने 20 सितंबर, 1985 के समाप्ति के आदेशों के *खिलाफ* उषा देवी बनाम पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शीर्षक से 1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 4807 दायर की, जो विवाद के इसी संदर्भ में विवादित हैं। इसलिए, एक बार जब माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्ति के आदेशों को बरकरार रखा है, तो विवाद का संदर्भ सक्षम नहीं है और केवल इसी आधार पर इसे खारिज किया जा

सकता है।

(7) अन्य अवलोकन भी अभिलेख से समर्थित नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश को ऊपर विस्तार से दोहराया गया *है। उच्च न्यायालय* द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई कि संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि मामले की पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है जो केवल दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व करके की जा सकती है। यदि ऐसी राय व्यक्त की जानी थी, तो उच्च न्यायालय ने श्रीमती उषा देवी शर्मा, तत्कालीन रिट-याचिकाकर्ता को छोड़ दिया होता कि श्रम वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। लेकिन, बात कुछ और ही है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया और संबोधित दलीलों पर निर्णय दिया।

(8) श्रीमती उषा देवी शर्मा के वकील का यह तर्क था कि, सेवाओं को समाप्त करने का आदेश सजा के रूप में पारित किया गया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। बल्कि यह देखा गया कि "अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है कि विवादित आदेश सजा के रूप में पारित किया गया है।"इसके अलावा, यह देखा गया कि विवादित आदेश परिवीक्षा की अवधि के दौरान पारित किया गया था और

इसमें कोई कलंक नहीं था। नियोक्ता द्वारा एक विवादित आदेश पारित करके एक कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।ऊपर के रूप में धारण करते हुए रिट *याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।"*

(9) श्रम न्यायालय ने विवादित निर्णय -अनुलग्नक पी. 1 में, आगे कहा कि रिट याचिका को सीमित रूप से *खारिज कर* दिया गया था और अन्यथा भी विवाद एक औद्योगिक मुद्दा था जिसे श्रमिक द्वारा अलग-अलग कार्यवाही द्वारा उठाया जा सकता था जो उसने किया था यानी विवाद को अधिनियम की *धारा* 10 के तहत निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को भेजा गया था। यदि उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण *बताए रिट* याचिका को केवल सीमित रूप से खारिज कर दिया था, तो यह तर्क दिया जा सकता था कि आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित नहीं किया गया था और श्रमिक श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता था, भले ही उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि किसी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के विवाद के निर्णय से संबंधित ऐसा मामला अधिनियम की *धारा* 10 के तहत श्रम न्यायालय को भेजा जा सकता है। हालाँकि, जब अलग-अलग उपाय उपलब्ध थे और कर्मचारी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका का लाभ उठाने के लिए चुना

और गुण-दोष के आधार पर विफल रहा, तो उसे वाद हेतुक उसी कारण और *उसी राहत* के लिए फिर से श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से रोक दिया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता की *धारा* 11 में उल्लिखित न्यायनिर्णयक सिद्धांत लागू होगा। उच्च न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित आदेश को श्रम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से श्रम न्यायालय के आदेश में निर्धारित आधारों पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो कि विवादित है।

(10) यह देखने के लिए कि क्या श्रीमती उषा देवी ने वास्तव में रिट याचिका में अपनी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को चुनौती दी थी या उन्होंने केवल सेवाओं के नियमितीकरण का दावा किया था, उषा देवी ने रिट याचिका की प्रति पेश की है। उसी के अवलोकन से पता चलता है कि वही उनकी सेवाओं के बाद दायर किया गया था, समाप्त कर दिया गया था और समाप्ति के आदेश को भी विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क कि रिट याचिका में केवल सेवाओं को नियमित करने के लिए राहत मांगी गई थी, सही नहीं है। बल्कि रिट याचिका में 20 सितंबर, 1985 के *आदेश* को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई प्रकृति में एक विशिष्ट प्रार्थना की गई थी, जिसकी प्रति रिट याचिका में संलग्नक पी. 5 के

रूप में प्रस्तुत की गई थी।

(11) चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी को दिया गया था, इसलिए इसे श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

बर्खास्तगी के आदेश को गलत ठहराते हुए श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए गुण-दोष पर अन्य निष्कर्षों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं माना जाता है। श्रम न्यायालय को निर्देश पर विचार करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसके आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(12) ऊपर दर्ज सभी कारणों से, **रिट याचिका** अनुमति दी जाती है **और 4 अप्रैल, 1990 के श्रम न्यायालय के आदेश-अनुलग्नक पी. 1 को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।**

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा ।